राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1407/2010/नागौर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, झुंझुनूं. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नागौर एग्रोटेक प्रा0 लिमिटेड, नागौर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

दिनांक : 03/01/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 119/08–09/वैट/नागौर में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.04.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, चिड़ावा वृत–झुंझुनूं (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 04.11.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.11.2008 को वाहन संख्या आर.जे.21/जी–0527 को चैक किये जाने पर वाहन में **'132 टिन सोया रिफाइण्ड खाद्य तेल'** नागौर से पिलानी के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल संख्या 15170 दिनांक 03.11.2008 प्रस्तुत किया गया। उक्त बिल में प्रेषिति व्यवहारी का नाम **'संतोष कुमार पिलानी टिन नं0 08511501347'** लिखा पाया गया। जबकि उक्त टिन नं0 **'मैसर्स दुर्गादत्त संतोष कुमार पिलानी'** के नाम जारी किया हुआ पाया गया। इस प्रकार मिथ्या नाम से माल परिवहन किये जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 30,480/– का आरोपण आदेश दिनांक 04.11.2008 से किया गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

लगातार.....2

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय की बहस सुनी गई।

4. बहस के दौरान प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में सक्षम अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वक्त चैकिंग माल से सम्बन्धित बिल संख्या 15170 दिनांक 03.11.2008 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माल पाने वाले व्यवहारी का नाम संतोष कुमार पिलानी एवं टिन नं0 08511501347 अंकित पाया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में जांच की जाने पर उक्त टिन नं0 मैसर्स दुर्गादत्त संतोष कुमार पिलानी के नाम जारी होना पाया गया। अतः गलत नाम अंकित होने के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि केवल प्रेषिति व्यवहारी के नाम के आगे दुर्गादत्त अंकित नहीं किये जाने के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवहन माल एवं बिल में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। वाहन में लदे माल अनुसार ही बिल जारी किया गया है। टिन नं0 पूर्णतया सही अंकित किये गये हैं। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा केवल दुर्गादत्त अंकित नहीं होने के आधार पर शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में तथ्यात्मक स्थिति एवं विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों के वर्णनात्मक विवेचन के साथ निर्णीत किया है कि बिना उचित जांच के ही आदेश पारित कर दिया गया है। फर्म का नाम अधूरा लिख देने मात्र से धारा 76(2) का उल्लंघन कारित नहीं हो जाता है।

7. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर सक्षम अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का अविधिक आदेश अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य